



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2009/भाद्र 4, 1931

No. 162]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2009/BHADRA 4, 1931

### भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2009

सं. भा.आ.प.-12(2)/मेडि./31902.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाती है, नामतः :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(i) इन विनियमों को मेडिकल कॉलेज की स्थापना (संशोधन) विनियमावली, 2009, भाग 1 कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मेडिकल कॉलेज की स्थापना (संशोधन) विनियमावली, 2009 में "नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु आवेदन प्राप्ति तथा केन्द्र सरकार तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा आवेदन पर प्रक्रिया हेतु अनुसूची" में कॉलम अंतिम तिथि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

क्र. सं.	प्रक्रिया के स्तर	अंतिम तिथि
1	2	3
1.	केन्द्र सरकार द्वारा आवेदन प्राप्ति	किसी भी वर्ष में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)
2.	भा. आ. प. द्वारा केन्द्र सरकार से आवेदन प्राप्ति	30 सितम्बर

1	2	3
3.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार को लैटर ऑफ इंटेंट जारी किए जाने हेतु अनुशंसा	15 दिसम्बर
4.	केन्द्र सरकार द्वारा लैटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाना	15 जनवरी
5.	केन्द्र सरकार द्वारा आवेदक द्वारा अनुमति हेतु अनुरोध पर उत्तर की प्राप्ति	15 फरवरी
6.	अनुमति पत्र जारी किए जाने पर विचार किए जाने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार के पत्र की प्राप्ति	1 मार्च
7.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार को अनुमति पत्र जारी किए जाने हेतु अनुशंसा	15 मई
8.	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाना	15 जून

ले. कर्नल (से. नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./100/09]

पाद टिप्पणी :- प्रधान विनियमावली, यह अधिसूचना भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी जिसमें दिनांक 7 अक्टूबर, 1999 को संशोधित किया गया तथा इसके पश्चात् 14 अगस्त, 2000 तथा 29 जुलाई, 2008 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

## MEDICAL COUNCIL OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2009

No. MCI-12(2)/Med./31902.—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, namely :—

1. **Short title and commencement** :—(i) These regulations may be called the “Establishment of Medical College (Amendment) Regulations, 1999” Part I.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, in “SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FOR ESTABLISHMENT OF NEW MEDICAL COLLEGES AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA”, in the Column ‘Last Date’, the following shall substituted as under :—

Sl. No.	Stage of Processing	Last date
1	2	3
1.	Receipt of applications by the Central Government	From 1st August to 31st August (both days inclusive) of any year.

1	2	3
2.	Receipt of applications by the MCI from Central Government	30th September
3.	Recommendations of Medical Council of India to Central Government for issue of Letter of Intent	15th December
4.	Issue of Letter of Intent by the Central Government	15th January
5.	Receipt of reply from the applicant by the Central Government requesting for Letter of Permission	15th February
6.	Receipt of Letter from Central Government by the Medical Council of India for consideration for issue of Letter of Permission	1st March
7.	Recommendation of Medical Council of India to Central Government for issue of Letter of Permission	15th May
8.	Issue of Letter of Permission by the Central Government.	15th June

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./100/09]

**Foot Note** :—The Principal Regulations were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 7th October, 2000 which amended *vide* Notification dated 7th October, 1999 and further amended *vide* Notification dated the 14th August, 2000 and 29th July, 2008.